

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर निवेश बढ़ाने पर है पूरा फोकस : शिखर अग्रवाल

रीको चेयरमैन ने रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में अधिकारियों को संबोधित किया

जयपुर (कासं)। रीको की ओर से आयोजित दो दिवसीय रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का शुक्रवार को समापन हुआ। वर्कशॉप रीको के इकाई कार्यालयों एवं उप-इकाई कार्यालयों के प्रभारियों के लिए आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर से 80 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। वर्कशॉप में अधिकारियों को अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, उद्यमी-अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि रीको की कार्यप्रणाली में निरंतर नवाचार आवश्यक है।

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को नीतियों का त्वरित लाभ मिले, अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक हो तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, यही रीको की पहचान बननी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में वेस्ट एंड एप्पुलेंट मैनेजमेंट का समुचित निस्तारण, सीईटीपी की प्रभावी मॉनिटरिंग, विद्युत एवं जल आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों को तेजी से पूरा करने पर भी बल दिया।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने



रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल

अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी वर्कशॉप्स का मुख्य उद्देश्य नॉलेज शेयरिंग होता है। अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए नवाचारों, चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा से सभी को सीखने का अवसर मिलता है।

उन्होंने कहा कि रीको के अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार से ही रीको की छवि बनती है। इस हेतु अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए।

वर्कशॉप के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें रीको डिस्पोजल ऑफ

■ **कार्यशाला में रीको अधिकारियों को मिला औद्योगिक विकास के नए आयामों का प्रशिक्षण**

■ **50 हेक्टेयर तक के औद्योगिक क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क तथा इससे अधिक हेक्टेयर वाले क्षेत्र रीको इकोनोमिक एवं इनवेस्टमेंट जोन कहा जायेगा : शिवांगी स्वर्णकार**

लैंड रूल्स 1979 में किए गए संशोधनों, ऑनलाइन मॉड्युल्स, सिविल एवं पावर वर्क्स में गुणवत्ता नियंत्रण एवं राजस्व एवं नगरीय निकायों से संबंधित भूमि आवंटन प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को फील्ड विजिट भी कराई गई, जिससे व्यावहारिक अनुभव मिल सके।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने यह भी बताया कि रीको द्वारा विकसित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम में एकरूपता व स्पष्टता लाने एवं स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर तक है, उन्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क कहा जाएगा तथा जिन औद्योगिक क्षेत्रों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें रीको इकोनोमिक एवं इनवेस्टमेंट जोन कहा जाएगा।

गणतंत्र दिवस पर आईपीएस संदीप सिंह चौहान महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से होंगे सम्मानित

जयपुर । आगामी 77 वें गणतंत्र दिवस



के गौरवमयी अवसर पर राजस्थान पुलिस और गृह रक्षा विभाग के एक जांबाज अधिकारी की

सेवाओं को विशेष पहचान मिलने जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक गृह रक्षा संदीप सिंह चौहान आईपीएस को उनके उत्कृष्ट

सेवा रिकॉर्ड और विभाग के प्रति अद्वितीय समर्पण के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। संदीप सिंह चौहान को यह सम्मान उनके पदस्थापन के दौरान राजकायों की व्यक्तिगत लगन और अद्वितीय समर्पण के साथ संपादित करने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने विभाग के स्वयंसेवकों के नियोजन में वृद्धि करने और गृह रक्षा विभाग के विकास कार्यों को पूर्ण निष्ठा व कर्तव्य-परायणता के साथ आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

है। उनकी इन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप विभाग ने उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना है। 77 वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के दौरान महानिदेशक एवं महासमादेश गृह रक्षा राजस्थान मालिनी अग्रवाल द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। आईपीएस संदीप सिंह चौहान को महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं महानिदेशक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की जाएगी।

हैंड कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। बिंदायका थाना पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा को परेशान करने के आरोप में हैंड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड था और नाबालिग को क्रिकेट में आगे बढ़ाने और अच्छी प्रेक्टिस करवाने की मदद के बहाने आए दिन परेशान कर रहा था। आरोप है कि कांस्टेबल फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव भी बना रहा था।

बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी को अग्रिम जांच की अनुमति मिली

अदालत ने मामले में पेश तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के

पेशा प्रार्थना पत्र को विडो करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेशा प्रार्थना पत्र को खारिज किया

जयपुर (कासं)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी को अग्रिम जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने मामले में पेश तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के पेशा प्रार्थना पत्र को विडो करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेशा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि साल 2021 में कोर्ट उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर

चुकी है। ऐसे इसे वापस लेने की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय एसीबी ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी थी। वहीं पूर्व आईएसएस जीएस संघू सहित अन्य अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं अब विस्तृत जांच के निर्णय के बाद एसीबी ने ट्रायल

कोर्ट से अनुमति मांगी थी। मामले के अनुसार जेडीए ने जून, 2011 में गणपति केस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था। साल 2013 में इसको शिकायत एसीबी में की गई। जिसके कार्रवाई करते हुए एसीबी ने तत्कालीन एसीएस जीएस संघू, उपायुक्त निष्काम दिवाकर, ऑफ़िसर सैनी और शैलेन्द्र गर्ग सहित अन्य की गिरफ्तारी की थी। वहीं मई, 2013 में एकल पट्टे को निरस्त भी कर दिया गया। वहीं पूर्ववर्ती

सरकार के समय एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने जनवरी, 2023 में इन अफसरों को राहत दी। इस आदेश के खिलाफ अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2024 को हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर हाईकोर्ट के सीजे को मामले की सुनवाई करने को कहा था।

फायरिंग के आरोपी रवि मेहरा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

गंगापोल में पिछले दिनों फायरिंग की वारदात के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती

जयपुर (कासं)। सुभाष चौक इलाके के गंगापोल में पिछले दिनों हुई फायरिंग की सनसनीखेड़ वारदात के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ ज़ोरों टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। फायरिंग के मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा (25) के अवैध निर्माण को शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस जाबो के बीच बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई हवामहल-आमेर जोन के नगर निगम दस्ते द्वारा की गई। निगम प्रशासन ने बताया कि आरोपी ने मेहरा बस्ती स्थित अपने मकान के आगे सड़क सीमा में करीब सात फीट तक अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर रखा था। पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। परंतु पालन नहीं होने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि रवि मेहरा सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर हैं और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा है। 19 जनवरी की सुबह गंगापोल इलाके



नगर निगम की हवामहल-आमेर जोन की टीम ने शुक्रवार को हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

में रवि मेहरा अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया था। उसने पड़ोसी

एसडीएम के समक्ष लंबित मुकदमें के निस्तारण के लिए वृद्धा को तीन बार आना पड़ा हाईकोर्ट

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को किया तलब

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम को लेकर 70 साल की वृद्धा के परिवार का अदालत की ओर से मियाद तय करने के बाद भी एसडीएम की ओर से निर्णय नहीं करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवार को एसडीएम द्वितीय सांगानेर से एसडीएम प्रथम में ट्रांसफर करते हुए पीठासीन अधिकारी विकास प्रजापत को 12 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश केसर देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि मामले में कोर्ट की ओर से दो बार आदेश जारी की लंबित परिवार को तीस दिन में तय करने को कहा था, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने केवल तारीख देने के

अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत को उम्मीद नहीं थी कि पीठासीन अधिकारी अदालत के आदेश को इस तरह से लेंगे। ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी अदालती आदेश की पालना में रुचि नहीं रखते हैं। अदालत ने मंशा जताई की ऐसे अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेश की पालना समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

याचिका में अधिवक्ता आशीष पूनिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत अपने बेटे-बहू के खिलाफ एसडीएम द्वितीय सांगानेर के समक्ष मार्च, 2024 में परिवार दिया था। जिसकी अंतिम बहस नहीं सुनने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने 11 नवंबर, 2024 को

एसडीएम को एक माह में परिवार पर निर्णय करने को कहा था, लेकिन एसडीएम ने इस आदेश की पालना नहीं की। इस पर वापस हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर हाईकोर्ट ने गत 15 मई को एक बार फिर एसडीएम को एक माह में निर्णय करने करने के साथ ही अधिकारी को चेतावनी भी दी। इसके बावजूद एसडीएम ने फिर भी कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया कि अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसके जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। एसडीएम ने हाईकोर्ट को कहा था कि गत 17 नवंबर तक निर्णय किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी छह बार मामले पर सुनवाई टाली गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए संबंधित एसडीएम को तलब करते हुए विचाराधीन परिवार को एसडीएम प्रथम में स्थानांतरित कर दिया है।

सलमान खान के हस्ताक्षरों की नहीं होगी एफ.एस.एल. जांच

राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाई रोक

■ **राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा मामला**

राजश्री पान मसाला की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

रिवीजन में अधिवक्ता देवेश शर्मा ने आयोग को बताया कि मामले में इन्द्रमोहन सिंह ने कोटा जिला उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश कर सलमान खान पर राजश्री पान का भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया था। जिसमें सलमान खान की ओर से अपना जवाब

और वकालतनामा पेश किया था। इसे शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर रिवीजनकर्ता ने परिवार पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

जिला आयोग ने परिवार पर आपत्तियों की सुनवाई करने के बजाए सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से कराने के आदेश दे दिए। रिवीजन में कहा गया कि सलमान खान पान मसाला नहीं, इलाइची का विज्ञापन कर रहे हैं। मामले के परिवारी ने समान परिवार विमल ब्रांड के खिलाफ भी किया था, उसमें इलायची का ही

विज्ञापन किया जा रहा था। उस परिवार को परिवारी ने वापस ले लिया था। इसके अलावा रिवीजन कर्ता ने जिला आयोग में परिवार पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसे तय करने के बजाए जिला आयोग ने अनावश्यक रूप से सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के आदेश दे दिए। रिवीजन में कहा गया कि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए रिवीजन कर्ता और सलमान खान के बीच एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत रिवीजन कर्ता जिला आयोग के आदेश से प्रभावित पश्कहार है। इसलिए जिला आयोग के आदेश को निरस्त किया जाए।

जनता बनी पुलिस की आंख और कान : राजीव शर्मा

जयपुर (कासं)। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की कम्प्यूनिटी पुलिसिंग शाखा ने समाज के विभिन्न वर्गों को पुलिस के साथ जोड़कर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है। वर्तमान में राज्य में सीएलजी मैबर, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, स्ट्रेंट्स पुलिस कैडेट और सुरक्षा सखियों के रूप में करीब 2.45 लाख वॉलंटियर्स कार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइट्स, मानव अधिकार एवं कम्प्यूनिटी पुलिसिंग) लता मनोज कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत गठित सामुदायिक सम्पर्क समूह (सीएलजी) आज पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक संवाद का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। राज्य में जिला, थाना और वार्ड स्तर पर कुल

82065 सीएलजी सदस्य सक्रिय हैं। दिसंबर 2025 तक पुलिस ने इन सदस्यों के साथ 29 हजार 158 बैठकें आयोजित कर स्थानीय समस्याओं का समाधान किया है। इंद्र की नमाज हो या होली-दिवाली के मेले, ये सदस्य सौहार्द बनाए रखने में पुलिस के मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं।

पुलिस मित्र योजना ने पुलिस के प्रति आमजन का नज़रिया बदला है। प्रदेश में 40 हजार 867 पुलिस मित्र अपनी स्वेच्छा से यातायात संचालन, नाकाबंदी और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को गोल्लन आँवर में अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों पर लागूमान लगाने के लिए 24 हजार 443 ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। ये रक्षक ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त और सूचना संकलन के जरिए पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत कर रहे

हैं।महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी के रूप में क्रांतिकारी पहल की है। वर्तमान में 21 हजार 953 महिलाएं सुरक्षा सखी के रूप में पुलिस और पीडित के बीच सेतु का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही, सर्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए राज्य में 500 कालिका पेटोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया है। यह संवेदनशील पहल ने केवल अपराधों पर अंकुश लगा रही है। बल्कि समाज में निर्भीक नारी की संकल्पना को साकार कर रही है।

एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति अभियान्त्रा प्रशिक्षण के तहत दिसंबर 2025 तक रिकॉर्ड 14 लाख 83 हजार 30 महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

‘पड़ौसी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी’

जयपुर (कासं)। सांगानेर इलाके में एक महिला ने पड़ोसी की ब्लैकमेलिंग अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काफी देर तक जब महिला अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर धक्का देकर गेट खोला तो महिला रस्सी के फंदे से झूलती मिली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के मृदांधर में भिजवाया। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर पड़ौसी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने

का मामला दर्ज कर जांच शुरु की। एसएसआई नरेश कुमार ने बताया कि सांगानेर की रहनेवाली सुमन चौधरी (37) तरुछाया नगर निवासी ने वर्षीय पड़ोसी की ब्लेकमेलिंग से परेशान होकर रस्सी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को परिवार के सदस्य बाहर गए थे। पीछे से दोपहर करीब 12 बजे महिला ने अपने कमरे में प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाया और उससे लटककर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद परिजन घर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। काफी प्रयास करने के बाद परिजनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला।

भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हुआ टी.बी. हॉस्पिटल : खंडेलवाल

जयपुर । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल ने टीबी हॉस्पिटल शास्त्री नगर, जयपुर में तैनात असिस्टेंट अकाउंट अफसर विनोद गुप्ता के खिलाफ लगाए गए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिए जाने को बड़ा घटनाक्रम बताया है। गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि उनके द्वारा की गई शिकायत के बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल प्रशासन ने विधिवत जांच समिति गठित कर नोटिस जारी

किया है, जिसमें उन्हें साक्ष्य सहित उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि लगाए गए आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि गंभीर और तथ्यात्मक है। खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि विनोद गुप्ता द्वारा खुलेआम रिश्तत की मांग,महीनों तक बिल रोककर रखना, बिल क्लियर होने के बाद भी जानबूझकर भुगतान अटकना और बिल पास कराने के नाम पर लगातार पैसों की डिमांड एक संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।